

पत्रांक-म०भो०/को०-171/2012-1820/

By-E mail

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

प्रेषक,

संजीवन सिन्हा,
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला मध्याह्न भोजन योजना
प्रभारी पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 13/12/14

विषय: जिला स्तर पर प्रधानाध्यापक, शिक्षा समिति के अध्यक्ष/सचिव एवं रसोइया-सह-सहायक को प्रशिक्षण देने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आप अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय के द्वारा सभी जिलों के जिला समन्वयक, जिला साधन सेवी एवं प्रखंड साधन सेवी को मास्टर ट्रेनर के रूप में पटना में चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षित किया गया। मास्टर ट्रेनर के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् जिला के सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षा समिति के अध्यक्ष/सचिव एवं रसोइया-सह-सहायक को प्रशिक्षण दिया गया था। पुनः विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के मास्टर ट्रेनर के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में जिला स्तर पर जिला में कार्यरत सभी रसोइया-सह-सहायक को प्रशिक्षित किया जाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निम्न बिन्दु स्पष्ट किये जाते हैं:-

1. प्रशिक्षण प्रखंड संसाधन केन्द्र पर दिया जाना है।
2. प्रशिक्षण 50-50 के बैच में दिया जाएगा।
3. जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी सुविधानुसार प्रखंडवार बैच बनाकर मास्टर ट्रेनर के द्वारा प्रधानाध्यापक, शिक्षा समिति के अध्यक्ष/सचिव एवं रसोइया-सह-सहायक को प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित करेंगे।
4. जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी प्रतिदिन दो बैच में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित करेंगे एवं एक बैच का सत्र चार घंटे का होगा। सभी रसोइया-सह-सहायक के बैच में मास्टर ट्रेनर के तौर पर एक प्रखंड साधन सेवी एवं मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किये गये एक रसोइया-सह-सहायक प्रशिक्षण देंगे। प्रधानाध्यापक के बैच में मास्टर ट्रेनर के तौर पर एक प्रखंड साधन सेवी एवं पूर्व में मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किये गये एक प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण देंगे। इसी प्रकार विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष/सचिव के बैच में प्रशिक्षक के तौर पर एक प्रखंड साधन सेवी एवं मास्टर ट्रेनर के रूप में पूर्व से प्रशिक्षित एक प्रधानाध्यापक होंगे।
5. मास्टर ट्रेनर रसोइया-सह-सहायक को प्रशिक्षण देने के लिए मानदेय एवं प्रशिक्षण केन्द्र पर आने-जाने के लिए ₹100/- (एक सौ रुपये) प्रतिदिन भुगतान किया जाएगा एवं मास्टर ट्रेनर प्रधानाध्यापक को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र पर आने-जाने के लिए ₹50/- (पचास रुपये) प्रतिदिन भुगतान किया जायेगा। यह राशि जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी अपने स्तर से भुगतान करेंगे।

6. प्रशिक्षण व्यय हेतु प्रति प्रशिक्षु 80/- (सतर रु०) की दर से भुगतान किया जायेगा। इस राशि में प्रशिक्षुओं हेतु अल्पाहार (चाय, विस्कुट इत्यादि) के लिए ₹35/- (पैंतीस रु०), रसोईया-सह-सहायक को प्रशिक्षण केन्द्र पर आने जाने के लिए ₹20/- (बीस रु०) एवं अन्य व्यवस्था (टैबुल, कुर्सी, साउण्ड, जेनरेटर इत्यादि) करने के लिए ₹25/- (पच्चीस रु०) भुगतान किया जायेगा। इस दर को आवश्यकता अनुसार उपयुक्त दिये गये किसी मद पदाधिकारी, प्रखंड साधन सेवी के माध्यम से रसोईया-सह-सहायक को प्रशिक्षण केन्द्र पर आने जाने के लिए उचित व्यवस्था करेंगे (जैसे-पंचायत से प्रशिक्षण केन्द्र तक जीप अथवा टेम्पू किराये पर लिया जा सकता है)।
7. सभी जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रमारी पदाधिकारी प्रखंड संसाधन केन्द्र पर प्रोजेक्ट, लैपटॉप एवं स्प्रिंकर के माध्यम से प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे।
8. प्रखण्ड संसाधन केन्द्र पर पूर्व से दरी एवं टेबल-कुर्सी उपलब्ध है। अतः प्रशिक्षुओं को बैठाने हेतु प्रखण्ड संसाधन केन्द्र का दरी एवं टेबल-कुर्सी का उपयोग किया जा सकता है।
9. सभी प्रखण्ड संसाधन केन्द्र पर या प्रखण्ड मुख्यालय परिसर में पूर्व से जेनरेटर उपलब्ध रहता है, प्रशिक्षण देने हेतु इन्ही जेनरेटरों का उपयोग किया जा सकता है एवं आवश्यकता अनुसार इंधन की आपूर्ति की जा सकती है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में प्रखण्ड संसाधन केन्द्र या प्रखण्ड मुख्यालय का जेनरेटर उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो तो भाड़े पर जेनरेटर ले सकते हैं।
10. जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रमारी पदाधिकारी सभी प्रखण्ड स्तर प्रशिक्षण के लिए एक ही बार जिला पदाधिकारी के स्तर से आदेश निर्गत करेंगे एवं अधोस्तराक्षरी को भी एक प्रति आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेंगे।
11. प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक- 16.01.2015 से प्रारम्भ कर दिनांक- 15.02.2015 तक लगातार कर संपन्न किया जायेगा।
12. जिला पदाधिकारी को शिक्षा विभाग एवं अन्य विभाग के पदाधिकारियों जैसे- वरीय उप-समार्हता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी से मध्याह्न भोजन योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम को अनुश्रवण हेतु अनुरोध किया जा सकता है।
13. जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रमारी पदाधिकारी अपने स्तर से यह प्रयास करेंगे कि प्रथम दिवस का प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाये।
14. अतः उक्त परिपेक्ष्य में निदेश दिया जाता है कि सभी जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रमारी पदाधिकारी प्रशिक्षण को सफल बनाने हेतु स्वयं प्रशिक्षण का अनुश्रवण करेंगे एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन निम्नवत् दिये गये प्रपत्र में भरकर अधोस्तराक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रपत्र "क"

जिला का नाम	प्रखंड का नाम	प्रखंड में कुल विद्यालयों की सं०	प्रखंड में कुल रसोईयां की सं०	विगत सप्ताह तक प्रशिक्षित किये गये कुल रसोईयां की संख्या	वर्तमान सप्ताह में प्रशिक्षित किये गये कुल रसोईयां की संख्या	कुल प्रशिक्षित रसोईया-सह-सहायक की संख्या

209

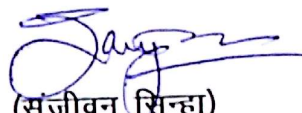
प्रपत्र "ख"

जिला का नाम	प्रखंड का नाम	प्रखंड में कुल विद्यालयों की सं०	प्रखंड में कुल प्रधानाध्यापकों की सं०	विगत सप्ताह तक प्रशिक्षित किये गये कुल प्रधानाध्यापकों की संख्या	वर्तमान सप्ताह में प्रशिक्षित किये गये कुल प्रधानाध्यापकों की संख्या	कुल प्रशिक्षित प्रधानाध्यापकों की संख्या

प्रपत्र "ग"

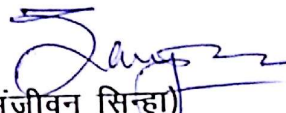
जिला का नाम	प्रखंड का नाम	प्रखंड में कुल विद्यालयों की सं०	प्रखंड में कुल वि. शि.स.के अध्यक्ष/सचिव की सं०	विगत सप्ताह तक प्रशिक्षित किये गये कुल अध्यक्ष/सचिव की संख्या	वर्तमान सप्ताह में प्रशिक्षित किये गये कुल अध्यक्ष/सचिव की संख्या	कुल प्रशिक्षित अध्यक्ष/सचिव की संख्या

विश्वासभाजन


(संजीवन सिन्हा)

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1820 / पटना, दिनांक 17/12/14 /
प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(संजीवन सिन्हा)

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1820 / पटना, दिनांक 17/12/14 /
प्रतिलिपि :- आप्त सचिव, शिक्षा मंत्री / प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(संजीवन सिन्हा)

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

क
१५७